झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
चतुर्दश (शीतकालीन) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 27.12.2018 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री राजकुमार यादव एवं श्री अरूप चटर्जी स0वि0स0	राज्य के कोल माईनिंग क्षेत्र धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो एवं अन्य सभी जिलों में कोयला खनन् कर कोल माफियों द्वारा गलत तरीके से कोयला खदानों के आस-पास बंद पड़े क्षेत्रों से मजदूरों द्वारा कोयला का अवैध व्यापार में पुलिस प्रशासन से मिलीभगत कर राज्य से बाहरी राज्यों को तस्करी कर भेजी जाती है, कभी कभार छापामारी कर मामले को रफा-दफा कर या जब्त करने की प्रक्रिया आये दिन खबरें अखबारों में छपती रहती है। धनबाद, गिरिडीह के जिलों में अनेकों कोक भट्ठा चल रहे जिसमें भी कोयला तस्करों द्वारा छोट-बड़े पैमाने पर तस्करी कर कोयला की अवैध आपूर्ति की जाती है। हाल के दिनों में राज्य के कई क्षेत्रों में इस तरह की घटनाऐं घट रही है और अभी हाल के दिनों में कोयला लोडिंग/अनलोडिंग व ट्रांसपोर्टिंग के मामले में धनबाद/बाघमारा में कई सफेदपोस लोगों के नाम सामने आये हैं और यह मामला माननीय प्रधान मंत्री के भी संज्ञान में लाया गया इन अवैध कार्यो के -	खान एवं भूतत्व

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		खिलाफ धनबाद जिला हार्ड कोक कोल एसोसिएशन द्वारा रंगदारी के संबंध में उठाया गया है। ऐसी घटनाओं से राज्य शर्मसार है खुले आम गोली–बारी एक गुट के लोगों के द्वारा दूसरे गुट पर जानलेवा हमला करना/हत्याऐं तक कर देना कोल माफीयाओं व तस्करों का रोजमर्रा का कार्य में शामिल है तथा अनेको नेताओं/व्यवसायीयों की हत्याऐं हो चुकी है। अतः सरकार से राज्य में हो रहे कोयला तस्करी/रंगदारी से लोडिंग, अनलोडिंग व ट्रांस्पोर्टिंग में रंगदारी टैक्स वसूल करने वाले लोगों पर लगाम लगाने तथा इस मामले की एस0आई0टी0 गठन कर जाँच करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।	
02–	श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0	"साहेबगंज जिला में कृषि महाविद्यालय की शिक्षण व्यवस्था आदिनांक प्रारम्भ नहीं की जा सकी है, जबकि महाविद्यालय में पठन–पाठन प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। साथ ही राजमहल अनुमण्डल में कृषि विज्ञान केन्द्र व उधवा प्रखण्ड में "मिनी शीतगृह" निर्माण व स्थापित करना कृषक हित में महत्त्वपूर्ण है। उत्तरी संथाल परगना प्रमण्डल का यह जिला अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ कृषि संरचना विकसित करना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे यहाँ के कृषक व छात्र स्वावलम्बी बन सके।" अतः सदन के माध्यम से सरकार से यह माँग करता हूँ कि जिला अन्तर्गत वर्णित स्थलों पर पठन–पाठन कार्य प्रारम्भ, राजमहल में कृषि विज्ञान केन्द्र व उधवा में उक्त वर्णित गृह का अविलम्ब निर्माण कराना जनहित में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, जिस ओर मैं ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता
03–	श्रीमती सीमा देवी स0वि0स0	राज्य में बेदिया जनजाति जो ओरमाँझी, रामगढ, बड़कागाँव, गोला आदि क्षेत्रों में रहते है ये अपनी–	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		उपाधि बेदिया लिखते है, परन्तु राँची जिला के सिल्ली प्रखण्ड उत्तरी भाग एवं अनगड़ा प्रखण्ड के टाटी एवं सुरसू पंचायत में निवास करने वाले बेदिया जनजाति के बहुत से लोग अपनी उपाधि मांझी लिखते आ रहे है जिस कारण इनके खतियान में भी माँझी कौम दर्ज है। इस कारण इस क्षेत्र के मांझी उपाधि धारी बेदिया जनजाति को जाति प्रमाण–पत्र बनाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में इस जनजाति के 610 खतियानधारी वैसे लोगों को ही जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा रहा है जिनके द्वारा बंदोबस्ती विभाग में वाद दायर किया गया था। इस क्षेत्र में 610 खतियान वालों के अतिरिक्त भी बड़ी संख्या में मांझी उपाधि धारी बेदिया जनजाति के लोग निवास कर रहे है। यह समस्या अविभाजित बिहार के समय से ही चली आ रही है। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहती हूँ कि राज्य सरकार सिल्ली प्रखण्ड के उत्तरी क्षेत्र एवं अनगड़ा प्रखण्ड के सुरसू पंचायत के मांझी उपाधि धारी बेदिया जनजाति को जाति प्रमाण–पत्र बनाने में सुविधा के लिए झारखण्ड सरकार के द्वारा जनजाति सूची में बेदिया शब्द के साथ "राँची जिलान्तर्गत सिल्ली प्रखण्ड के उत्तरी क्षेत्र एवं अनगड़ा के टाटी तथा सुरसू पंचायत के मांझी उपाधि धारी बेदिया" शब्द जोड़ा जाय ताकि मांझी उपाधि धारी खतियानी बेदिया समाज को जाति प्रमाण–पत्र बनाने में सुविधा हो सके।	
04–	श्री अशोक कुमार स0वि0स0	गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा ग्रामीण जलापूर्ति योजना वर्षो से निर्माणाधीन है, इस जलापूर्ति योजना के निर्माण में सरकार का करोड़ों रूपये खर्च हो चुके है। परन्तु विभागीय उदासीनता के कारण सरकार का करोड़ों रूपये खर्च होने के बावजूद भी महागामा की जनता को पेयजल	पेयजल एवं स्वच्छता

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		के लिये कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महागामा के बगल में राजमहल कोयला खदान होने के कारण महागामा एवं आस-पास के इलाके में जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिसके कारण वहाँ पेयजल का घोर संकट है। इसलिये महागामा की जनता पेयजल के लिए त्राहिमाम है। योजना को चालू करने में मामूली काम बांकी है। विभाग की इच्छाशक्ति हो तो दस से पन्द्रह दिनों में ही उक्त जलापूर्ति योजना में शेष बचे हुए कार्य को पूर्ण कराते हुए पेयजल संकट से जूझ रहे महागामा वासियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जा सकता है। अतः व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा ग्रामीण जलापूर्ति योजना में शेष बचे हुए निर्माण कार्य को पूर्ण कराते हुए उक्त योजना को अविलम्ब चालू कराने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	
05-	श्री बिरंची नारायण स0वि0स0	बोकारो में हैसाबातु पेयजलापूर्ति योजना की शुरूआत करीब 42 करोड़ की राशि से हुई है और इस योजना के तहत् पेयजल की आपूर्ति गरगा डैम से की जानी है, लेकिन गरगा डैम में वर्षो से गाद जमा होने के कारण इसके जल संचय की क्षमता काफी कम हो गई है, जिससे आवश्यकतानुसार पेयजल की उपलब्धता काफी कम है। अतएव मैं इस दिशा में सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करता हूँ कि गरगा डैम में वर्षो से जमा गाद को साफ करवाते हुए इसके गहरीकरण का कार्य करवाया जाय, ताकि उक्त 42 करोड़ की राशि खर्च करके निर्माण हो रहे हैसाबातु पेयजलापूर्ति योजना भविष्य में Fail न हो और यहाँ के लोगों के समक्ष उत्पन्न गंभीर पेयजल का संकट दूर हो सके।	पेयजल एवं स्वच्छता

राँची,
दिनांक- 27 दिसम्बर, 2018 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-77/2018-3717/वि0 स0, राँची, दिनांक-26/12/18

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/खान एवं भूतत्व विभाग/कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/12/18

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-77/2018-3717/वि0 स0, राँची, दिनांक- 26/12/18

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

26/12/18

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-